


न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

देना बैंक बनाम श्री विजय कुमार

प्रकरण संख्या 302/2018 (धारा 14 सिविल रिट ऐजेंशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
27.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से धारा 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत बंधक संपत्ति के दस्तावेज अपूर्ण प्रस्तुत किए गए हैं। ऋणी के स्वामित्व के संबंध में विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र भी अधूरा है।</p> <p>अतः धारा 14 सरफेशी अधिनियम-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दस्तावेजों के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	